सार्वजनिक सूचना

केन्द्रीय नजारत, अनुभाग जनपद न्यायालय बागपत

कार्यालय पत्रांक ः:- 5 दिनांक ः:- 07.01.2022

<u>**न्याय अधिष्ठान बागपत मे संविदा के आधार पर अंश कालीक सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में आवेदन किये जाने हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन आदेश दिनांक 07-01-2022 के अनुसार आवेदन तिथि 10 दिन के लिए बढाई जाती है--**</u>

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 14130/VII b-104/admin D section/allahabad Dated 27 th November, 2021 के अनुपालन मे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार शासनादेश संख्या-1963/सात-न्याय-2-2000-41 जी/97, दिनांकित 19.10.2000 व शंशोधित शासनादेश संख या-15/2016/1111/सात-न्याय-2-2016-41 जी/97, न्याय अनुभाग-2 अधीनस्थ न्यायालय लखनउ दिनांक 10 अगस्त, 2016 के द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार कार्य करने वाले सफाई, कर्मचारी को 6000/- प्रतिमाह की धनराशि देय होगा।

जनपद न्यायालय बागपत मे 04 पद (02 पद न्यायालय एवं कार्यालय एवं 02 पद न्यायालय परिसर की साफ-सफाई हेतु) <u>संविदा के आधार पर अंश कालीक सफाई कर्मचारी हेतु</u> आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन निम्नवत शर्तो के अधीन-

1– आवेदक जनपद बापगत का मूल निवासी हो। यह पद <u>**संविदा के आधार पर अंश कालीक सफाई कर्मचारी**</u> पूर्णतः अस्थाई होगा और उसकी सेवाएं कभी-भी समाप्त की जा सकती है। अंश कालीक सफाई कर्मचारी किसी दशा मे नियमित संवर्ग मे होने का दावा प्रस्तुत नही कर सकेगा।

2– आवेदक Sweeper-cum-Farrash; Category'D' (6000 Fixed) के पद हेतु आवेदन दिनांक 17-01-2022 तक करना होगा।

3– आवेदक को हिन्दी लिखने पढने का ज्ञान होना चाहिये व अपनी शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र भी दाखिल करेगा।

4– आवेदक को न्यायालय, कार्यालय शौचालयो की साफ-सफाई का ज्ञान होना चाहिये।

5– आवेदक को न्यायालय परिसर की साफ-सफाई मे पेड-पौधो की देख-रेख, लान आदि की साफ-सफाई का ज्ञान होना चाहिये। आवेदक को यदि उक्त कार्यो का किसी प्रकार का अनुभव है तो वह सन्लग्न कर सकता है।

6– उक्त तिथि तक पाप्त आवेदन वाले व्यकित्यो की परीक्षा दिनांक 18-01-2022 को प्रातः 10-00 बजे न्यायालय परिसर मे आयोजित की जायेगी। आवेदक केन्द्रीय नजारत अनुभाग से सम्पर्क स्थापित करेंगें।

7– परीक्षा का परिणाम अन्तिम रूप से माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत के द्वारा घोषित किया जायेगा।

शासनादेश संख्या-979/सात 5 न्याय-2-2016-41 जी/97, न्याय अनुभाग-2 अधीनस्थ न्यायालय लखनउ दिनांक 30 जून, 2016 के अनुसार शासनादेश संख्या-1963/सात-न्याय-2-2000-41 जी/97, दिनांकित 19.10.2000 के माध्यम से जनपद न्यायालयों एवं बाहय स्थित न्यायालयो मे प्रत्येक 05 न्यायालय कक्षों तथा उससे सम्बद् कायालयों, वादकारी, अधिवक्तागण कर्मचारीगण शौचालयों की सफाई करने हेतु संविदा के आधार पर नियुक्त किया जायेगा।

उक्त विज्ञापन हेतु सार्वजनिक सूचना माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन के पश्चात प्रभावी होगा।

07-1-22

Seen 07/01/2022

सुशील कुमार-तृतीय,
प्रभारी अधिकारी नजारत/अपर जिला एवं
सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-04 बागपत।

प्रतिलिपिः- <u>**निम्नलिखित को प्रकाशनार्थ एवं सूचना पटल पर लगाने हेतु प्रेषित।**</u>

1. माननीय उच्च न्यायालय एवं जनपद न्यायालय बागपत की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
2. जनपद न्यायालय बागपत, नगर पालिका बागपत, विकास भवन, जिला कलैक्ट्रेट बागपत, तहसील बागपत, जिला पंचायत बागपत, के नोटिस बोर्ड पर।
3. सूचना अधिकारी को एक स्थानीय व एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में जी0 ओ 0 नं0-562/उन्नीस-2-2007-1007(टी0 सी0) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति **निःशुल्क** प्रकाशित कराये जाने एवं सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।

4- केन्द्रीय नाजिर बागपत को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु